उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A-237892

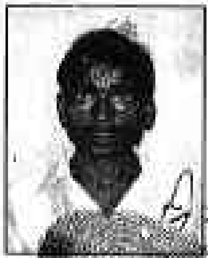

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : बिजनौर
3. ग्राम : बरौना
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) : भूमि खसरा संख्या –142स व 294

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 453024

30 JUL 2010

5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.1425 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	:	सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
9.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कुछ नहीं
10.	बोरिंग/कुआ/अन्य	:	कुछ भी नहीं
11.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 4,14,367/-
12.	मालियत	:	रू0 3,20,625/-
13.	स्टाम्प	:	रू0 29,050/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

खसरा न0 142स

पूरब	: खसरा संख्या–145
पश्चिम	: खसरा संख्या–139
उत्तर	: खसरा संख्या–143
दक्षिण	: खसरा संख्या–141

खसरा न0 294

पूरब	: खसरा संख्या–295
पश्चिम	: खसरा संख्या–293
उत्तर	: खसरा संख्या–292
दक्षिण	: खसरा संख्या–296

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

375875

31 JUL 2010

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
जगदेव पुत्र रेवती निवासी-ग्राम-बरौना, परगना-बिजनौर व तहसील व जिला-लखनऊ। व्यवसाय - कृषि		वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम निवासी-90, पूरे निधी, केलौली, गुरुबक्सगंज, रायबरेली। व्यवसाय-कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 375876

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख जगदेव पुत्र रेवती निवासी–ग्राम–बरौना, परगना–बिजनौर व तहसील व जिला–लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है,

एवम

वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम निवासी–90, पूरे निधी, फेलौली, गुरूबक्सगंज, रायबरेली जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 502118

यह कि विक्रेता खाता खतौनी नं0 00346 कृषि भूमि खसरा संख्या–142स रकबा 0.0510 हेक्टेअर व खसरा संख्या–294 रकबा 0.2340 हेक्टेअर कुल दो किता व कुल रकबा 0.2850 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.1425 हेक्टेअर, स्थित ग्राम–बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है जो विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता खतौनी क्रम संख्या–00346 के

अनुसार विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एंव अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरूत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 4,14,367/- (रूपया चार लाख चौदह हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कतई किया और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज से बखूबी करा दिया। अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो यह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के

स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल–खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम बरौना, परगना– बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 22,50,000/– रूपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.1425 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,20,625/– होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क 29,050/– के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

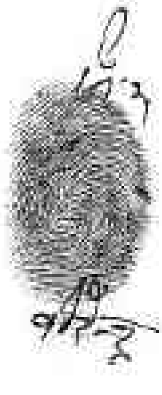

विक्रय पत्र

414,367.00/	321,000.00	8,300.00	40	8,340.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री जगदेव

पुत्र श्री खनी

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी बरौना लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/8/2010 समय 5:59PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
2/8/2010

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री जगदेव
पुत्र श्री रेवती
पेशा कृषि
निवासी बरौना लखनऊ

क्रेता

श्री वीरेन्द्र कुमार
पुत्र श्री राजाराम
पेशा कृषि
निवासी 90 पुरे निधी कैलौली गुरुबक्शगंज रायबरेली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री पंकज पाठक
पुत्र श्री हरिशंकर पाठक
पेशा नौकरी
निवासी लालबाग लखनऊ
व श्री रामजी
पुत्र श्री श्रीकृष्ण
पेशा कृषि
निवासी माईजी का पुरवा लखनऊ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के.द्विवेदी
उप निबन्धक
लखनऊ
2/8/2010

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रू0 3,14,367/– (रूपया तीन लाख चौदह हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) द्वारा चेक संख्या–313606 दिनांकित 02.08.2010 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेता को रू0 1,00,000/– (रूपया एक लाख मात्र) नगद क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 4,14,367/– (रूपया चार लाख चौदह हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

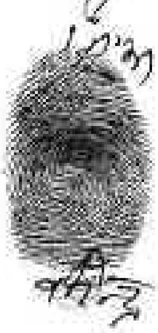

विक्रेता

Registration No.: 14319 Year : 2,010 Book No. : 1

0101 जगदेव

रेवती

करौना लखनऊ

कृषि

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने–अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या–10 पर चेक नं0 व दिनांक पेन से लिखा गया है।

दिनांकः–02.08.2010

लखनऊ

गवाहानः–

1. पंकज पाठक
S/o - हरि शंकर पाठक
[illegible] - लखनऊ

विक्रेता

क्रेता

2. [illegible]

टाईपकर्ताः

(राम सनेही)

मसविदाकर्ताः

(पाली अनुराग)

एडवोकेट,

विक्रेता

Registration No.: 14319 Year: 2,010 Book No.: 1

0101 जगदेव

रेवती

[illegible]

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता:– जगदेव पुत्र रेवती निवासी– ग्राम–बरौना, परगना–बिजनौर व तहसील व जिला–लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

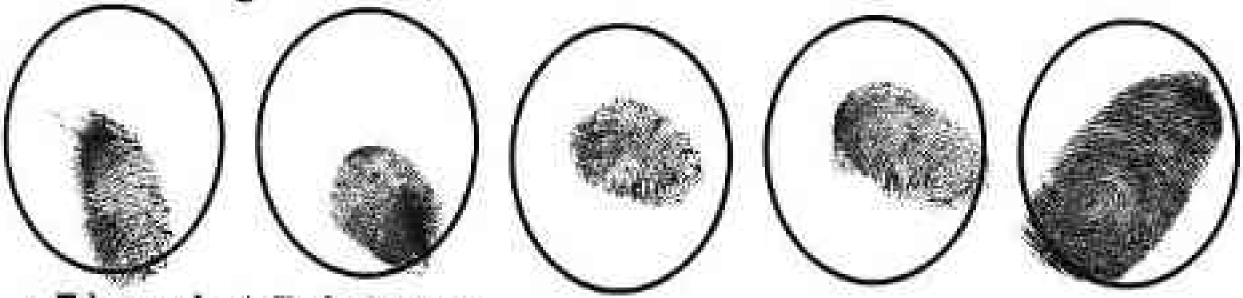

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

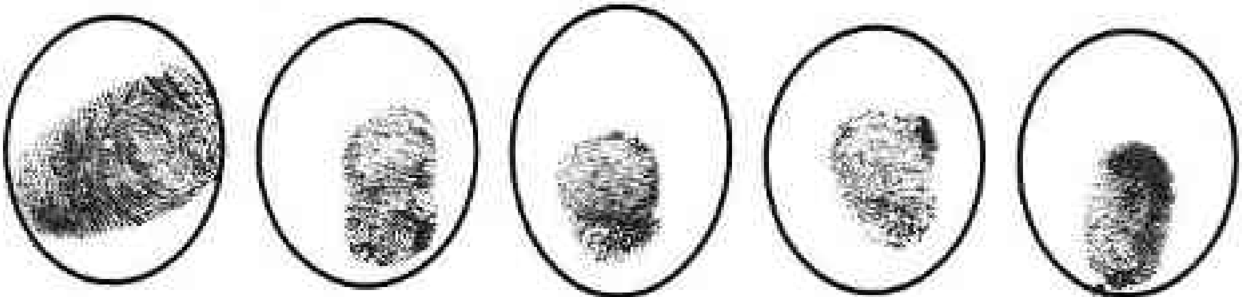

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता– वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम निवासी–90, पूरे तिवारी, केलौली, गुरूबख्सगंज, रायबरेली ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

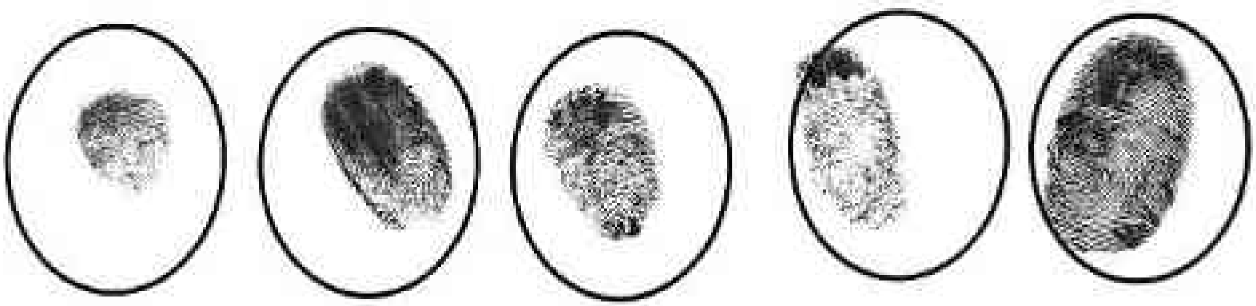

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

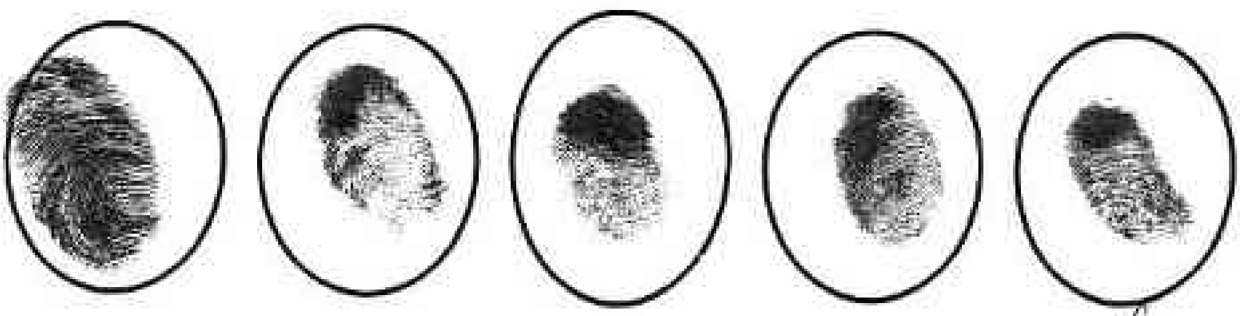

क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. : 14319 Year : 2,010 Book No. : 1

0201 वीरेन्द्र कुमार

राजाराम

90 पुरे मिश्री कॉलोनी गुरुबक्शगंज रायबरेली

कृषि

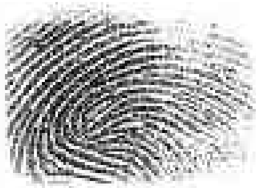

नक्शा नजरी

खसरा सं0 142स, 294

ग्राम बरौना

विक्रेता रामदेव

क्रेता वीरेन्द्र कुमार

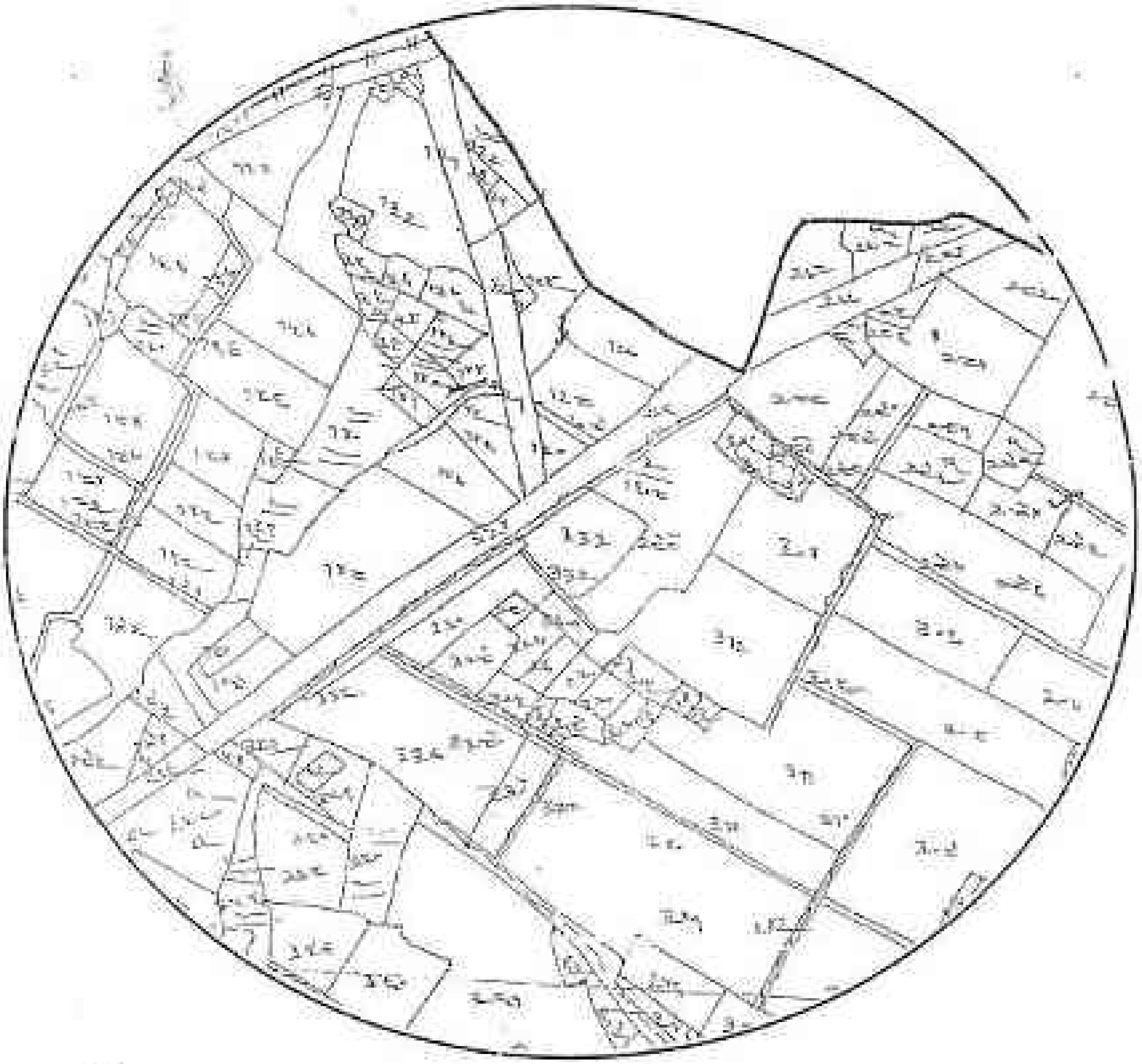

विक्रेता

क्रेता

आज दिनांक **02/08/2010** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **11847**

पृष्ठ सं. **347** से **372** पर क्रमांक **14319**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी .के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

2/8/2010